555(11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक– 04.08.2017

विषय – वर्ष–2017 में अल्पवृष्टि/अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में संभावित सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सुखाड़ का कुप्रभाव पर्यावरण एवं जन साधारण के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, जो महामारी का रूप ले सकती हैं। सुखाड़ के समय होने वाले बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों की रोकथाम हेतु आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारियों का फैलाव नही हो और यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु तैयारियों के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं :–

(क) सामान्य

1. जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक/सिविल सर्जन/आपूर्ति विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।

2. यह समिति अपने जिले में सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी, जहाँ पर त्वरित ढंग से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जायगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी उक्त समिति को है।

(ख) निरोधात्मक

1. सुखाड़ के स्थिति में पेयजल श्रोतों में पीने के पानी की कमी के साथ पेयजल के दूषित होने की संभावना हो जाती है। ऐसे सभी पूर्व के पेयजल श्रोतों की पहचान कर ली जाय जिसे जनसाधारण उपयोग में लाते हो। इस कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/कर्मी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

2. सुखाड़ के समय अशक्त वर्ग विशेषतः बच्चों, दूध पिलाने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, एवं वृद्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रभावित जनसंख्या पोषाहार की कमी से अत्यधिक प्रभावित होती है। इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह पर पोषाहार कैंप की स्थापना की जाय।

3. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु पीने के पानी के श्रोतों का शुद्दिकरण क्लोरीन (हैलोजन टिकिया) के माध्यम से किया जाय।

4. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत "पेयजल संकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया" में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट http://disastermgmt.bih.nic पर उपलब्ध है।

5. सुखाड़ के दौरान कीट जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, डेंगू/मलेरिया/कालाजार इत्यादि । जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।

(ग) चिकित्सा दलों का गठनः–

1. सुखाड़ होने की स्थिति में जिला स्तर पर उन जिलों में प्रभावित जगहों के आधार पर चिकित्सा दलों का गठन किए जायेंगे, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/ परिचारिका एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी सिविल सर्जन द्वारा नामित किये जायेंगे एवं प्रभावित जगहों के आवश्कता के आधार पर सिविल सर्जन के द्वारा भेजे जायेंगें।

(घ) दवाओं की उपलब्धताः–

1. सामान्यतः सुखाड़ के समय निम्न बीमारियॉ उत्पन्न होती है :–
   - i **जलजनित** – दस्त, कलरा, अतिसार, वाईरल हेपेटाईटिश, मियादी बुखार, खाने पीने की वस्तुओं से संक्रमण ।
   - ii **पोषाहार की कमी का परिणाम**–विशेषतः विटामिन्स एवं मिनरल्स की कमी।
   - iii **संक्रमण**–मिजिल्स।
   - iv **अधिक गर्मी का प्रभाव**– डिहाईड्रेसन, हिट स्ट्रोक, हिट एक्जर्शन।
   - v **चर्म रोग**– ड्रमेटाईटिश, स्केविज इत्यादि।
   - vi **श्वास संबंधित बीमारियाँ**– निमोनिया, एक्यूट ब्रोनकाईटिश, ब्रोनको निमोनिया।
   - vii **मानसिक बीमारियाँ**– – एनजाईटी, डिप्रेशन एवं फियर (भय)।
   - viii **वेक्टर बॉर्न** – मलेरिया तथा डेंगू।
2. उपरोक्त रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निम्नलिखित दवाओं की आवश्यकता होगी :–

Sl. No.	Name of Drugs
1	Disinfectants
2.	ORS pkts.
3.	ASVS
4.	Antibiotics
5.	Antidiarrhoeal
6.	IV Fluids
7.	IV Sets
8.	Antitussive
9.	Antiallergic
10.	Antidepressant
11.	B. Complex
12.	Skin ointment
13.	ARV
14.	Anti pyretic

3. सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली जाए। इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 एवं ए0आर0भी0 का भंडारण सुनिश्चित कर लिया जाए। ये सभी Essential Drugs में शामिल है। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करें। संभावित सुखाड के मद्देनजर आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालो सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(च) उपचारात्मकः–

1. सुखाड़ के दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ने से कुत्ता एवं सियार काटने की घटनायें बढ़ जाती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

2. पोषाहार की कमी के मद्देनजर विशेषतः अशक्त वर्ग (बच्चे, दूध पिलाने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, एवं वृद्ध व्यक्ति) हेतु विशेष दवाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यवस्थाएँ कर ली जाय।

(छ) अस्थायी अस्पताल :–

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और आक्रान्तो की संख्या ज्यादा है, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0 उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तब तक चलते रहेंगे, जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे।

(ज) प्रशासनिक व्यवस्था :–

1. सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम तथा इस कारण आक्रांत मरीजों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन अपने जिले के अन्तर्गत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी अगले आदेश तक अथवा सुखाड़ से उत्पन्न महामारी पर जब तक नियंत्रण न पा लिया जाय तब तक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे।

2. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। उन सूचनाओं के आधार पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर अविलंब आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।

3. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को अधिकार होगा कि चिकित्सा पदाधिकारी/ स्वास्थ्यकर्मियों को अप्रभावित जगहों से हटाकर प्रभावित जगहों पर सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों की रोक थाम के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे।

4. सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश देय नहीं होगा। यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश सिविल सर्जन की अनुशंसा पर जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे। सुखाड़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जायगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

5. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोक–थाम में यदि चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की कमी हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक की सेवाएँ अधीक्षक/ प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे सुखाड़ से उत्पन्न महामारी समाप्ति तक प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।

6. क्षेत्रीय अपर निदेशक/ सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखाड़ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम हेतु प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगे।

7. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में सुखाड के समय महामारी उद्‌भेदन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान,(RMRIMS) अगमकुआँ,पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगे।

(झ) <u>अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :–</u>

1 क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहें कार्यो का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगें और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे ।

2. प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक सुखाड़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषांग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी सुखाड़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषांग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे। बीमारी से आक्रान्तो की संख्या/कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को दूरभाष/ई–मेल /फैक्स से संसूचित किया जायगा ।

(ट) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :—

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति शेखपुरा पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या–'104' से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई–मेल आई0डी0 **ssobihar@gmail.com** पर सूचना भेजी जा सकती है।

2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति/राज्य के जिलों से महामारी के समय में आक्रान्तो/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही निदेशालय स्तर पर सुखाड के अनुश्रवण कोषांग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगें। इस कोषांग का दायित्व होगा कि प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर समेकित दैनिक प्रतिवेदन प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगें।

3. निदेशक प्रमुख (आपदा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेंगे, जो सुखाड से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

विश्वासभाजन

1/8/17

(आर0के0महाजन)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 555(11) पटना, दिनांक : 04.08.2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक सह सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संभावित सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति/रोक–थाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपिः–निदेशक,राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (**RMRIMS**), अगमकुआँ, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

1/8/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 555(11) पटना, दिनांक : 04.08.2017

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/17

सरकार के प्रधान सचिव

"क"

सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अनुश्रवण हेतु जाँच बिन्दुओं की सूची:–

1. **सामान्य**
   (क) क्या वैसे गांवों की पहचान कर ली गयी है जहाँ पीने की पानी की अत्याधिक कमी होती है ?
   (ख) क्या सुखाड़ के समय प्रभावित गांव के व्यक्तियों हेतु कम–से–कम पीने के पानी के जरूरतों का आकलन कर लिया गया ?
   (ग) सुखाड़ से प्रभावित गांवों में उपलब्ध पीने के पानी का मात्रा का आकलन कर लिया गया है ?
   (घ) क्या सुखाड़ से प्रभावित गांवों में पानी के कमी के भरपायी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की पहचान कर ली गई है ?

2. **कार्य योजना की तैयारी**
   (क) क्या सुखाड़ प्रवण गांवों में सुखाड़ के समय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सक एवं पाराकर्मियों का आकलने कर लिया गया है ?
   (ख) क्या ऐसे चिकित्सक एवं पाराकर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनहें आवश्यकता अनुरूप प्रतिनियुक्त किया जा सके ?
   (ग) क्या वैसे कर्मियों को सुखाड़ क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ?
   (घ) क्या प्रभावित स्थल पर क्रम रहित मल–मूत्र के जाँच हेतु निरीक्षण दल जीवविज्ञानी सहित का गठन कर लिया गया है ?
   (ड.) क्या दवाओं, कीटाणुनाशकों यथा ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन टैबलेटस एवं वैक्सीनस के जरूरतों का आकलन कर लिया गया है ?
   (च) क्या वर्तमान में भण्डारित दवाओं, कीटाणुनाशकों यथा ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन टैबलेटस एवं वैक्सीनस का समीक्षा कर लिया गया है ?
   (छ) क्या अपेक्षित अतिरिक्त भण्डारण हेतु क्रय का प्रबन्ध कर लिया गया है ?

3. **कार्रवाई**
   (क) क्या सुखाड़ प्रवण क्षेत्रों में कीटाणुनाशकों के व्यवहार एवं उसके उपयोग से संबंधित सावधानियों के बारे में प्रयाप्त प्रचार–प्रसार किया गया है ?
   (ख) मक्खियों एवं मच्छरों के विरूद्ध क्या उपाय किये गये हैं ?
   (ग) क्या चिकित्सा केन्द्रों की पहचान कर ली गई है ?
   (घ) क्या गांवों के सभी ग्रामवासियों को यह जानकारी है कि आवश्यता पड़ने पर किस चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र पर जाना है ?
   (ड.) क्या वर्तमान में अवस्थित चिकित्सा केन्द्रों की पर्याप्तता का आकलन कर लिया गया है ?
   (च) यदि अस्थायी अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता हो तो इस हेतु स्थलो की पहचान कर ली गयी है।
   (छ) यदि ऐसे अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता होती है तो वैसी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों की उपलब्धता हेतु श्रोंतो की पहचान कर ली गयी है।
   (ज) अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों हेतु विभिन्न दवाओं, वैक्सीनस इत्यादि के उपलब्धता हेतु आकलन कर लिया गया है ?
   (झ) यदि वर्तमान भंडारण पर्याप्त नहीं हो तो अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों में अतिरिक्त दवाओं एवं वैक्सीनस इत्यादि के उपलब्धता हेतु प्रबन्ध कर लिये गये हैं ?

4. **अनुश्रवण**
   (क) क्या जिलों एवं प्रखण्डों में अनुश्रवण हेतु पदाधिकारी (IDSP) चिन्हित कर लिये गये हैं ?
   (ख) क्या वर्तमान स्थितियों, दवाओं की उपलब्धता, कर्मियों के संबंध में जानकारियों के प्रेषण हेतु क्रमवार–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र → जिला → स्वास्थ्य विभाग अवस्थित राज्य नियंत्रण कक्ष के सूचना प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ?
   (ग) अचानक उत्पन्न हुए विशेष परिस्थिति के संबंध में जानकारियों को उच्च स्तरीय प्रेषण हेतु सूचना प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ?
   (घ) क्या अनुश्रवण, समन्वय, संकलित प्रतिवेदन के प्रेषण हेतु राज्य IDSP (Integrated Disease Surveillance Project) को संसूचित किया गया है ?